(53)

संख्या– /XXVIII–5–2011–02/2005

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादून, दिनांकः 28 दिसम्बर, 2011

विषयः जी0बी0 पन्त चिकित्सालय, जनपद नैनीताल के नवीनीकरण एवं विस्तारीकरण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–893/XXVIII–5–2006–02/2005, दिनांक 24.11.2006 तथा आपके पत्र सं0–7प/1/जि0चि0/17/2004/36070, दिनांक 28.12.2010 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जी0बी0पन्त चिकित्सालय, नैनीताल के नवीनीकरण एवं विस्तारीकरण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु कुल स्वीकृत लागत ₹220.75 लाख के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि ₹180.00 लाख के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2011–12 में सम्पूर्ण अवशेष धनराशि ₹40.75 लाख (रूपये चालीस लाख पिचहत्तर हजार मात्र) अवमुक्त करते हुए, निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उक्त धनराशि आहरित कर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम, नैनीताल को उपलब्ध करायी जायेगी एवं स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में करते हुए कार्य को पूर्ण कर भवन विभाग को हस्तगत कर दिया जायेगा। विलम्ब की दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नही किया जायेगा ।

2– स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों एवं शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय इसी वित्तीय वर्ष में करते हुए वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

5– स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31.03.2011 में इंगित निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

6– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2011–12 के अनुदान सं0–12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय –00– आयोजनागत, 01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 110–अस्पताल एवं औषधालय, 17–आवासीय भवनों मे वृहद स्तरीय अनुरक्षण विस्तारीकरण तथा निर्माण, 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0 370(P)/XXVII(3)/2011–12, दिनांक 26 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव।

संख्या–174-2(1)/XXVIII–5–2011–02/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, कुमायूं मण्ड़ल, उत्तराखण्ड।
4– स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
5– अपर सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड ।
6– वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
7– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
8– मुख्य चिकित्साधीक्षक, जी0बी0 पन्त चिकित्सालय, नैनीताल।
9– परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0, नैनीताल।
10– बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
11– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
12– मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून /गार्ड फाईल।

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव।